अनुदान संख्या 100 - जनजातीय कार्य मंत्रालय
GRANT No. 100 - MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
मूल	*Original*	*4905,91,00*	*4905,92,00*	*3820,88,94*	*-1085,03,06*
पूरक	*Supplementary*	*1,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1085,03,05*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	7509,04,00	7509,08,00	3707,96,07	-3801,11,93
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				3795,11,51
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	46,93,00	46,94,00	16,37,54	-30,56,46
पूरक	Supplementary	1,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				30,56,45

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* हिस्से में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुईं:–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*489189.00*			
पू.	*S.*	*1.00*	*380571.85*	*380571.85*	..
पु.	*R.*	*-108618.15*			

(I) "केन्द्र प्रायोजित योजनाएं – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)" के अंतर्गत *₹ 78617.15 लाख* की बचत (फरवरी, 2024 में प्राप्त *₹ 1.00 लाख* के सांकेतिक पूरक *विनियोग* सहित कुल स्वीकृत *विनियोग ₹ 368479.00 लाख* की तुलना में) राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग प्राप्त होने और योजना को बंद करने/रूपांतरित करने के कारण हुई।

(I) Under "Centrally Sponsored Schemes-Tribal Area Sub-Plan- Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna)" - saving of *₹78617.15 lakhs* (against the total sanctioned *appropriation* of *₹ 368479.00 lakhs* including token supplementary *appropriation* of *₹ 1.00 lakh* obtained in February, 2024) was due to receipt of less demand from States/implementing agencies and discontinuation/conversion of the scheme.

(II) "राज्यों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान" के अंतर्गत *₹ 30001.00 लाख* की बचत (*₹ 120711.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्यों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under "Other Transfer/Grants to States-Tribal Area Sub-Plan-Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution" - saving of *₹30001.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹120711.00 lakhs*) was due to receipt of less demand from States.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बचतें/अधिक व्यय हुईं/हुएः–

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"				
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	621514.00			
पू.	S.	2.00	305399.77	304805.06	-594.71
पु.	R.	-316116.23			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	125645.00			
			..	..	..
पु.	R.	-125645.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
पु.	R.	62017.10	62017.10	62017.10	..

(I) मुख्य शीर्ष "2552" – "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" – के अंतर्गत चार मामलों में ₹125645.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहाः–

(I) Provision of ₹125645.00 lakhs remained wholly unutilized in four cases under Major Head "2552" - "Tribal Area Sub-Plan" - under the following heads:-

(का) "राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम" – ₹1400.00 लाख;

(A) "National Tribal Welfare Program" - ₹1400.00 lakhs;

(खा) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)" – ₹57745.00 लाख;

(B) "Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna)" - ₹57745.00 lakhs;

(गा) "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान" – ₹26500.00 लाख; तथा

(घा) "जनजातीय संस्थान" – ₹40000.00 लाख।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु आंशिक निधियों/निधियों को कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग करने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष "2225" – "अनुसूचित जनजातियों का कल्याण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचत हुई:–

(का) "निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन सी एस टी)" – ₹570.78 लाख की बचत (₹2150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम दौरे किए जाने और नवीकरण कार्य के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(खा) "जनजातिक्षेत्र उप–योजना" –

(क) "राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम" – ₹5664.84 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹63151.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम मांग, केंद्र शासित प्रदेशों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति, रिक्त पदों को न भरने और विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) "एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)" – ₹309593.68 लाख की बचत (₹554300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूंजीगत कार्यों

(C) "Welfare of Scheduled Tribes-Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution" - ₹26500.00 lakhs; and

(D) "Tribal Institutions" - ₹40000.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2225" - "Welfare of Scheduled Tribes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - National Commission for Scheduled Tribes (NCST)" - saving of ₹570.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2150.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and requirement of less funds towards renovation work.

(B) "Tribal Area Sub-Plan" -

(a) "National Tribal Welfare Programme" - saving of ₹5664.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹63151.00 lakhs including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024) was due to less demand from implementing agencies, receipt of less proposals from Union Territories, non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards advertisement and publicity.

(b) "Eklavya Model Residential Schools (EMRS)" - saving of ₹309593.68 lakhs (against the sanctioned provision of

पर व्यय की धीमी गति और रिक्त पदों को न भरने के कारण हुई।

₹554300.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure on capital works and non-filling up of vacant posts.

(ग) "अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)" – ₹881.64 लाख की बचत (₹1915.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन (विधानसभा के बिना) से कम प्रस्ताव प्राप्त होने और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह योजना को बंद करने के कारण हुई।

(c) "Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna)" - saving of ₹881.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1915.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from UT Admn. (without legislature) and discontinuation of the Particularly Vulnerable Tribal Groups scheme.

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3601" के तहत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईः–

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "3601" - under the following heads:-

(I) "केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम (पीएम वनबंधु कल्याण योजना)" – ₹35517.10 लाख का अधिक व्यय ('शून्य' प्रावधान की तुलना में) हुआ; तथा

(I) "Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Programme for Development of Scheduled Tribes (PM Vanbandhu Kalyan Yojna)" - excess of ₹35517.10 lakhs (against 'nil' provision); and

(II) "राज्यों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान– जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान" – ₹26500.00 लाख का अधिक व्यय ('शून्य' प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) "Other Transfer/Grants to States - Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes - Grants under proviso to Article 275(1) of the Constitution" - excess of ₹26500.00 lakhs (against 'nil' provision).

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय मुख्य शीर्ष "2552" से निधियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग हेतु कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचत हुईः–

4. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4225"	Major Head "4225"					
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities					
मू.	O.	4500.00		1500.00	1500.00	..
पु.	R.	-3000.00				

(I) "सामान्य–जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय जनजातीय कल्याण कार्यक्रम" के अंतर्गत एक मामलें में ₹3000.00 लाख का प्रावधान प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा न करने की वजह से योजना के कार्यान्वयन में देरी के कारण पूरी तरह अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under "General - Tribal Area Sub-Plan - National Tribal Welfare Programme" - due to delay in implementation of the scheme owing to non-fulfillment of procedural formalities.